न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 49/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/9**

दायर दिनांक :– 17.02.2022 **निर्णय दिनांक :– 07.10.2024**

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थी**

1. हजारीराम पुत्र केसराराम
2. शैतानाराम पुत्र केसराराम
3. रामचन्द पुत्र हरदासराम
4. गवरी पत्नि बींजाराम
5. बगडूराम पुत्र बींजाराम
6. गोरधनराम पुत्र बींजाराम
7. भंवरलाल पुत्र बींजाराम
8. फरसाराम पुत्र बींजाराम

जाति विश्नोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला जोधपुर (राज0)

राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार, बाप

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि खसरा नम्बर 335 कुल रकबा 70–18 बीघा भूमि सरहद मौजा कानासर वर्तमान नवसृजित ग्राम हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 70–18 बीघा के मूल खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वजों का मौके पर कब्जा व काश्त रकबा 70–18 बीघा भूमि पर था इसी आधार पर उक्त भूमि के मूल खातेदारों के नाम मिसल बन्दोबस्त तैयार की गई थी। उक्त भूमि के मूल खातेदारों ने खसरा नम्बर 335 रकबा 70–18 बीघा भूमि की ही बीगूड़ी व लगान अदा किया था। वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा मोमीट्रेस नक्शे तैयार करते समय खसरा नम्बर 335 के मूल खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरीत रकबा से कम रकबा 44–09 बीघा भूमि का ही मोमीट्रेस नक्शा तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:20 IST
Reason: SelfAttested

07.10.24

किया जो गलत है जो मूल खातेदारों के कब्जा काश्त व जमाबंदी के रकबे से 26–09 बीघा भूमि कम है। मूल खातेदारों के फौत होने से उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी अनुसार दर्ज है और मौके पर प्रार्थीगण का रकबा 70–18 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 344 रकबा 18–04 बीघा स्थित है, लेकिन खसरा नम्बर 344 का मोमीट्रेस नक्शे का रकबा 25–13 बीघा है। उक्त बढा हुआ रकबा 7–09 बीघा खसरा नम्बर 335 का ही भाग है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 335 के चिपता ही खसरा नम्बर 321 रकबा 604–08 बीघा स्थित है, लेकिन खसरा नम्बर 321 का मोमीट्रेस नक्शे का रकबा 623–08 बीघा है उक्त बढा हुआ रकबा 19–00 बीघा खसरा नम्बर 335 का ही भाग है तथा प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है। इसलिये मोमीट्रेस नक्शा में की गई रकबा से कम तरमीम को दुरूस्त की जाकर मूल खसरा नम्बर 335 रकबा 70–18 बीघा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में बताया कि ग्राम हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 335 रकबा 11.4769 हैक्टेयर का नक्शा लट्ठा का रेखीय क्षेत्रफल रकबा से कम है, पड़ोसी खसरा नम्बर 344 रकबा 18.04 बीघा व खसरा नम्बर 321 रकबा 604.08 बीघा के नक्शा लट्ठा का रेखीय क्षेत्रफल रकबा से अधिक है। बढोतरी रकबा पर प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त एवं मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के मूल खसरा नम्बर 335 कुल रकबा 70.18 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 38 में दर्ज है जबकि नक्शे का रेखीय क्षेत्रफल अनुसार 44.09 बीघा भूमि है। इस प्रकार नक्शे का रेखीय क्षेत्रफल जमाबंदी में दर्ज रकबे से 26.09 बीघा कम है। तहसीलदार बाप के जवाब व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में [illegible] जिससे जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2023 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:20 IST
Reason: SelfAttested

... कलेक्टर ... जिला फलोदी ...

07.10.24

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 335 रकबा 11.4769 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 97.0273 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 2.9461 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.04.2023 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:20 IST
Reason: SelfAttested